A 6/1

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 19/प्रा.पत्र/2022
(GCMS No. 2022/43)

तारीख दायरा
19.04.2022

तारीख निर्णय
12.03.2024

लेखराज आ. भंवरलाल जाति मीणा
निवासी पेच की बावडी, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मन्ना आ. हजारी जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ, तह. हिण्डोली
2. रमेश आ. भंवरलाल जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ, तह. हिण्डोली
3. पांची पुत्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ, तह. हिण्डोली
4. लाली पुत्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ, तह. हिण्डोली
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी
6. उप पंजीयक हिण्डोली, जिला बून्दी (राजस्थान)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से श्री शंभूदयाल शर्मा, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री महेन्द्र जैन, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 146/2012 बउनवान लेखराज मीणा बनाम मन्ना मीणा वगै. को बून्दी मुख्यालय के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर क्रमांक 19/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2022/43 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी तलब की गयी।

तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुऐ अपने तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थी लेखराज द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 159/12 उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के न्यायालय में प्रस्तुत किया था और उक्त वाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं. 146/12 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उपरोक्त वाद की मिसल राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तलब की हुई है एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सं.146/12 में दिनांक 17.12.2012 को अप्रार्थीगण को दौराने प्रकरण वादग्रस्त भूमि को रहन, बय नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था जिसकी उप पंजीयक हिण्डोली व तहसीलदार हिण्डोली एवं अप्रार्थी मन्ना को पूर्ण जानकारी है। अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण में निरंतर भाग ले रहे है। न्यायालय के स्थगन के बावजूद उप पंजीयक हिण्डोली द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र का दिनांक 29.11.21 को पंजीयन कर दिया और उक्त पंजीयन के आधार पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 12/340 मे से 0.0300 हैक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त हो जाने व भूमि की अवार्ड राशि का भुगतान स्वयं मन्ना द्वारा प्राप्त कर लेने के बावजूद अवाप्त की गई भूमि का नामान्तरकरण राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज नहीं किया और उक्त भूमि रकबा 2 बीघा में निहित अपना संपूर्ण हिस्सा 4/5 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2021 को उप पंजीयक हिण्डोली के यहां मन्ना द्वारा निष्पादित कर दिया गया। जिसके संबंध में प्रार्थी ने उप पंजीयक हिण्डोली व तहसीलदार हिण्डोली को तत्समय रिपोर्ट प्रस्तुत कर राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि को बेचने वाले व खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया था, किन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी हिण्डोली को उक्त कार्यवाही में लिप्त उप पंजीयक हिण्डोली एवं तहसीलदार हिण्डोली के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अवमानना का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। उक्त अवमानना की कार्यवाही में दिनांक 24.02.2022 को ही अप्रार्थीगण की तामिल हो जाने के उपरांत भी व सिविल प्रकिया में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि गुजर जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर निरंतर जवाब हेतु पेशियां बदली जाकर अवमाननाकर्ताओं को

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

संरक्षण प्रदान किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में हकदार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने के उपरांत उक्त प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का नहीं होने के बावजूद निरंतर पेशियां 9.3.22, 16.3.22, 21.3.22, 01.4.22, 04.4.22, 13.4.22 नियत की गई एवं उक्त दिनांक 13.4.22 को पीठासीन अधिकारी कानूनी व्यवस्था में व्यस्त रहने से अधिकांश पत्रावलियों में पेशी 01.6.22 व 25.5.22 नियत की गई है जबकि उक्त प्रकरण में दिनांक 18.4.22 ही नियत की गई। ऐसे में प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में विधिसम्मत व न्यायोचित निर्णय की आशा नहीं है। भीमशाल उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं है और उसने न्यायालय के स्थगन के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त भूमि के रकबें की रजिस्ट्री करवायी है और उक्त तथ्य पीठासीन अधिकारी, तहसीलदार हिण्डोली व उप पंजीयक हिण्डोली की जानकारी में होने के बावजूद भीमसाल अपने राजनैतिक रसूकात का दुरूपयोग कर उक्त प्रकरण को प्रभावित कर रहा है। इस कारण न्यायहित मं प्रार्थी इसी स्टेज पर उक्त प्रकरण को बून्दी मुख्यालय के न्यायालय में ट्रांसफर करवाकर गुणावगुणों पर निर्णय करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र सं. 146/12 को उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली से बून्दी मुख्यालय के अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किएजाने के आदेश फरमावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थना पत्र में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 146/2012 को बून्दी मुख्यालय के न्यायालय में ट्रासंफर किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर मिथ्या आक्षेप लगाकर अपने मुकदमें को इच्छित न्यायालय में ट्रान्सफर करवाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल माननीय न्यायालय को है कि वह किसी वाद को ट्रासंफर किये जाने योग्य ठोस कारण प्रकट होने पर न्यायहित में वर्तमान न्यायालय से किसी भी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर कर सके। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया है जिसके आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र को उसके संबंधित क्षेत्राधिकार के वर्तमान न्यायालय से बून्दी मुख्यालय के अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे। किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण ट्रासंफर कर दिया जाता है तो इससे अदालतों की विश्वसनीयता एवं न्याय की गरिमा पर प्रतिकूल असर पडता है तथा पीठासीन अधिकारी की साख में भी कमी आती है। इस प्रकरण में जिन पीठासीन अधिकारी द्वारा जल्दी जल्दी तारीख पेशियां दिये जाने का आरोप लगाया गया है उनका स्थानान्तरण हो जाना प्रकरण की आर्डरशीट दिनांक 04.05.22 से प्रमाणित है। ऐसे में उक्त पीठासीन अधिकारी महोदय के स्थानान्तरण के साथ ही प्रार्थी की आपत्ति का स्वतः ही समाधान हो चुका है। अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

A 6/4

न्यायालय ने हस्तगत पत्रावली एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली से प्राप्त पत्रावली प्रार्थना पत्र संख्या 146/2012 का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी की आपत्ति है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में जल्दी जल्दी की तारीख पेशियां दी जा रही है जिससे उक्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के साथ न्याय नहीं किये जाने की आशंका होने से अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किया जावे। जबकि अप्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा जिन पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने की आशंका थी उनका स्थानान्तरण हो चुका है। ऐसे में प्रार्थना पत्र को यथावत उसी न्यायालय में विचाराधीन रखा जावे। बहस के दौरान प्रकट तथ्यों के आधार पर एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली की पत्रावली के अवलोकन से पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन उक्त मामले में प्रार्थी के साथ अन्याय होने की संभावना नजर नहीं आती है।यदि किसी पक्षकार का केवल संदेह हो जाये कि उसे न्याय नहीं मिलेगा, यह मामले के अन्तरण को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है तथा प्रकरण में जल्दी जल्दी सुनवाई की तारीख देना पीठासीन अधिकारी का कोई बुरा प्रेरक नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थी को वर्तमान न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा प्रमाणित करने में प्रार्थी असफल रहा है। इस प्रकार प्रकरण को अन्य न्यायालय में अन्तरण किये जाने का कोई ठोस आधार प्रकट नहीं है। वैसे भी जब तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का उपखण्ड कार्यालय हिण्डोली से अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है तो उक्त प्रार्थना पत्र को अब अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करने का कोई औचित्य नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी हिण्डोलीं के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को ठोस कारण के अभाव में अन्य न्यायालय में स्थान्तरित किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 01.04.2024 नियत की जाकर निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस लौटाई जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी

जिला कलेक्टर, बून्दी

जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते